स0स0 -1/विविध 69/2018 357 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– सहायक आतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 15/01/2025

विषयः– श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति कुल राशि रु0 591,77,00,000/– (रुपये पाँच सौ इक्यानवे करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र के पुनरीक्षण के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रू0 7,09,93,03,366/–(रुपये सात अरब नौ करोड़ तिरानवे लाख तीन हजार तीन सौ छियासठ) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-XII" के तहत इस परियोजना हेतु कुल रू0 36,73,00,000/–(रुपये छत्तीस करोड़ तिहत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबंध मे कहना है कि विभागीय राज्यादेश स0–192(1) दिनाक–05 02 2019 द्वारा श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, समस्तीपुर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 मे कुल रु0 591,77,00,000/– (रुपये पॉच सौ इक्यानवे करोड सतहत्तर लाख) मात्र की लागत पर प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के पुनरीक्षण के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2024–25 मे कुल रू0 7,09,93,03,366/ (रुपये सात अरब नौ करोड तिरानवे लाख तीन हजार तीन सौ छियासठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–321(7), दिनाक–27 12 2024 द्वारा प्रदान की गयी है।

2 केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, समस्तीपुर के स्थापना हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्राश मद मे 113 40 करोड की राशि उपलब्ध करा दी गयी है। इस योजना मद मे केन्द्राश के रूप मे केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध करा दी गयी है, इसके समानुपातिक राज्याश मद मे राशि के अभाव के कारण योजनागत कार्य को जारी रखने के उद्देश्य से Top up Fund के रूप मे राज्य योजना मद से राशि दी जा रही है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है–

क्र0सं0	पत्रांक/दिनांक	राशि (रू0 में)
1	U.14017/22/2015/ME-II, दिनाक 19 02 2019	28,49.00.000/-
2	U 14017/22/2015/ME-II, दिनाक 19 02 2019	51.00.000/-
3	U.14017/22/2015/ME-II, दिनाक 19 02 2019	1,00,00.000/-
4	U.14017/22/2015/ME-II, दिनाक 9 05 2019	4,27,00,000/-
5	U.14017/22/2015/ME-II, दिनाक 9 05 2019	8,30,00.000/-
6	U.14017/22/2015/ME-II, दिनाक 9 05 2019	37,43.00.000/-
7	U.14017/22/2015/ME-II-FTS-8030201(3). दिनाक 20 10 2020	3,64.00.000/-
8	U 14017/22/2015/ME-II-FTS-8030201(2). दिनाक 20 10 2020	6,94.00.000/-
9	U.14017/22/2015/ME-II-FTS-8030201(1). दिनाक 20 10 2020	22,82,00.000/-
	कुल–	**1,13,40,00,000/-**

3 समानुपातिक राज्याश मद के रूप मे निर्माण एजेन्सी को आवंटित राशि का विवरणी निम्नवत् है

1	2023 -24	75.00.00.000	स0 –383(7) दिनाक–26 12 2023
2	2023 24	60.00,000	स0 - 435(7) दिनाक -19 01 2024
	कुल योग	75.60.00.000	

4— राज्य योजना मद से Top up Fund के रूप में दी गई राशि विवरणी निम्नवत है —

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	आवंटनादेश स0 एवं दिनांक
1	2022—23	50,00,00,000	स0—487(7),दिनाक—20 02 2023
2	2022—23	1,15,00,00,000	सं0—597(7) दिनांक—29 03.2023
3	2023—24	29,33,00,000	स0—610(7) दिनाक—31.03.2023
4	2023—24	70,00,00,000	स0—198(7) दिनाक—28.08 2023
5	2023—24	5,00,00,000	स0—635(7) दिनाक—14.03.2024
6	2023—24	27,90,00,000	स0—636(7) दिनाक—14.03.2024
7	2024—25	17,00,00,000	स0—137(7) दिनांक—21.08 2024
8	2024—25	30,54,00,000	स0—227(7) दिनांक—21.10 2024
	कुल योग	**3,44,77,00,000**	

5— उक्त योजनान्तर्गत भवन के निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)- Bihar, दिनाक—22.11 2024, एव F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Part-XII-SACE-24. दिनाक—22 11 2024 तथा वित्त विभाग के पत्रांक—701/वि0 दिनाक—22 11 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 मे under Part-XII" के तहत स्वास्थ्य विभाग को इस परियोजना हेतु कुल रु0 36 73 करोड मात्र राशि प्राप्त हुई है।

6— उक्त के परिप्रेक्ष्य मे श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, समस्तीपुर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018—19 मे प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति कुल राशि रु0 591,77,00,000/— (रुपये पॉच सौ इक्यानवे करोड सतहत्तर लाख) मात्र के पुनरीक्षण के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2024—25 मे कुल रु0 7,09,93,03,366/—(रुपये सात अरब नौ करोड तिरानवे लाख तीन हजार तीन सौ छियासठ) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 मे भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-XII" के तहत इस परियोजना हेतु कुल रु0 36 73,00,000/—(रुपये छत्तीस करोड तिहत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7— उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश स0—192(1) दिनाक—05 02 2019 मे निहित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

8— इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

9 राज्य योजना मद मे Top up Fund के रूप मे इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या 20, मुख्य शीर्ष—4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—01 शहरी स्वास्थ्य सेवाए, लघु शीर्ष—110—अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष—0111—मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड—20—4210011100111 अन्तर्गत विषय शीर्ष 0111—53—01—मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जानी है।

10— वित विभागीय पत्र सख्या—632वि०, दिनाक—04 07 2023 के क्रम मे निर्गत वित विभागीय पत्र सख्या—10792/वि०, दिनाक 06 12 2023 के क्रम मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूंजीगत परियोजनाओ से सबधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट स0 PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID---------- मे जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा—निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेगे।

11– वित्त विभागीय पत्रांक–432/वि०, दिनांक–29.03.2023 एवं पत्रांक–701/वि०, दिनांक–22.11.2024 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

12– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/ वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

13– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

15– प्रारूप में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–1/विविध–69/2018 के पृष्ठ–108/टि0 पर प्राप्त है।

16– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

15.1.25

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/विविध–69/2018– 357 (7) स्वा0, पटना, दिनांक–15/01/2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिलाधिकारी, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव– सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर–सह–प्रभारी, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी को ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

15.1.25

सरकार के अपर सचिव